138

पत्र सं0:-22/विविध-01-10/2022(स्वा0)....55(22)..................../

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

जयकिशोर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग,
नई दिल्ली।

राँची, दिनांकः-25.08.2022

विषयः- झारखण्ड राज्य State Reproductive Technology and surrogacy Board गठन की सूचना के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्र-D.O.No.U.11019/07/2022 HR दिनांक-03-02-2022 एवं D.O.No.U.11019 /08/2022 HR दिनांक-04-02-2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में झारखण्ड राज्य State Reproductive Technology and surrogacy Board का गठन किया गया है।

उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य State Reproductive Technology and surrogacy Board गठन अधिसूचना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

25.08.2022

(जयकिशोर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-22/विविध-01-10/2022...45(22) राँची/दिनांकः-18.08.2022

स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0-D.O.No.U.11019/07/2022 HR दिनांक-03.02.2022 एवं D.O.No.U.11019 /08/2022 HR दिनांक-04.02.2022 में निहित निदेश के आलोक में The surrogacy (Regulation) Act 2021 के अनुच्छेद 26, 27 तथा The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 के अनुच्छेद 6 के तहत झारखण्ड राज्य में State Assisted Reproductive Technology and surrogacy Board का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-

1.	माननीय विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड	-अध्यक्ष(पदेन)
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड	-उपाध्यक्ष(पदेन)
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा विभाग, झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी विधि विभाग झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
6.	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम, झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)
7.	तीन महिला विधान सभा सदस्य	-सदस्य (पदेन)
8.	राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप नियुक्त निम्नांकित क्षेत्रों के कुल 10 (दस) विशेषज्ञ सदस्यः	
	(i) अनुवांशिकीविद (Eminent Medical Geneticists) या भ्रुण विज्ञानी (Embryologists) -2(दो)	-सदस्य
	(ii) स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ (Eminent Gynecologists and Obstertricians) -2(दो)	-सदस्य
	(iii) समाजिक विज्ञानी (Social Scientist) -2(दो)	-सदस्य
	(iv) महिला कल्याण संगठन (Representatives of women welfare organisations) के प्रतिनिधि -2(दो)	-सदस्य
	(v) महिला स्वास्थ्य एवं बाल विकास क्षेत्र में कार्य कर रहे (Representatives from Civil Society Working on Women's health and child issues)	-सदस्य
9.	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (विषय प्रभारी) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड	-सदस्य (पदेन)

2. क्रमांक 7 में उल्लेखित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। इस बीच इन सदस्यों में से किसी सदस्य के द्वारा यदि राज्यमंत्री/ मंत्री/ विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद धारित किया जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान यदि विधान सभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वैसी स्थिति में भी बोर्ड से इनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।

3. भारत सरकार के पत्रांक- D.O.NO.U.11019/07/2022/HR दिनांक- 05.05.2022 के आलोक में उपर्युक्त क्रमांक 8 पर उल्लेखित 10 विशेषज्ञ सदस्यों का चयन एवं नियुक्ति की अधिसूचना बाद में निर्गत की जाएगी।
4. बोर्ड का कार्य एवं दायित्व उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
5. बोर्ड की बैठक प्रत्येक चार माह में आहूत की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12.8.22

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 22/विविध-01-10/2022 45(22) राँची/दिनांक : 18.08.2022

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/विभाग के सभी पदाधिकारी को उपरोक्त उल्लेखित पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.8.22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 22/विविध-01-10/2022 45(22) राँची/दिनांक : 18.08.2022

प्रतिलिपि : The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 एवं The State Assisted Reproductive Technology and surrogacy Board राज्य बोर्ड गठन के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.8.22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 22/विविध-01-10/2022 45(22) राँची/दिनांक : 18.08.2022

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची के ई-गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

12.8.22

अपर मुख्य सचिव